भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 96

बुधवार, 16नवम्बर, 2016/25 कार्तिक, 1938 (शक)

न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि

96. श्री हुसैन दलवई:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'ग' श्रेणी के अकुशल अकृषक कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी को 246 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये प्रतिदिन करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया गया है;

(ख) क्या मंत्रालय द्वारा 350 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए अपनाई गई पद्धति केन्द्रीय सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार है, यदि नहीं, तो अंतर क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार प्रत्येक दो वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार परिवर्ती दैनिक भत्ता (वीडीए) के संशोधन का अनुसरण कर रही है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) और (ख): केन्द्रीय क्षेत्र में, 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन तथा रेपटाकोस एण्ड कं. बनाम उसके कामगारों में माननीय उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों के आधार पर श्रेणी ग के अकुशल गैर कृषि कामगारों की न्यूनतम मजदूरी दरें 246 रूपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 350 रूपये प्रतिदिन की गईहै।

(ग): केन्द्रीय क्षेत्र में,वीडीए जोड़करन्यूनतम मजदूरी दरें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल 1 अक्तूबर से प्रभावी होकर वर्ष में दो बार संशोधित की जाती है।

****